लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *299

13 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए भविष्य निधि अंशदान

***299 डॉ० आर०के० रंजन:**

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिधान और 'मेड-अप' इकाइयों के कर्मचारियों के लिए की जाने वाली व्यवस्था की भांति हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन स्कीम में नियोक्ता का संपूर्ण 12 प्रतिशत अंशदान वहन करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उत्तर-पूर्वी राज्यों में हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए 'वर्क-शेड' सह आवास की आवश्यकता की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे वर्क-शेड सह आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

दिनांक 13.03.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *299 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) जैसे प्रावधान औपचारिक क्षेत्र में लागू होते हैं जहां नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद हैं। हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र कॉटेज उद्योग की विशेषताओं वाला मुख्यत: असंगठित और विकेंद्रित क्षेत्र है। इन उद्यमों को संयत्र एवं मशीनरी में बहुत कम निवेश के साथ प्रयोजन निर्मित सुविधा के बजाय अक्सर घर से ही संचालित किया जाता है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत, भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में हथकरघा बुनकरों को करघे स्थापित करने हेतु वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को 1.20 लाख रुपये प्रति इकाई तक बढ़ाया गया है। बीपीएल/एसटी/एससी/ महिला श्रेणी के तहत आने वाले बुनकरों को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है तथा अन्य बुनकरों को अधिकतम 90,000 रूपये के अध्याधीन इकाई की लागत के 75% तक वित्त पोषित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अरुणाचल प्रदेश में 60 वर्कशेड और असम में 489 वर्कशेड स्वीकृत किए गए हैं।

****